न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
संदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1889–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–4–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, पन्ना जिला पन्ना प्रकरण कमांक 663/प्रवाचक/2013

.....

1 श्रीमती दिव्या रानी सिंह पति श्री केशव प्रताप सिंह
निवासी मोहन निवास पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0 प्र0
2 श्रीमति कल्याणी देवी पति श्री राजेन्द्र सिंह
निवासी मोहन निवास, पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7-10-215 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1889–दो/13 इस राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष दिनांक 29–4–2013 को तहसीलदार पन्ना जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 663/प्रवाचक/2013 के कार्यवाही आदेश दिनांक 15–4–13 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि प्रकरण कमांक 4/अ'61/93–94 में आराजी कमांक 387 एवं 389 के संबंध में निगराकार कमांक 2 को एवं प्रकरण कमांक 5/अ–61/93–94 में सर्वे नंबर 388 के संबंध में निगराकार कमांक 1 को, दोनों के आदेश दिनांक 7–4–94 से फलदार वृक्ष लगाने की अनुज्ञा जारी की थी जिन में प्रमुखतः निम्न शर्ते उल्लिखित थी :

1) शर्त 1 एवं 3 के अनुसारः 6 माह की अवधि में (1) आम (2) इमली, (3) जामुन, (4) महुआ के वृक्ष प्रतिएकड़ अधिकतम 30 के मान से वृक्ष लगाने की अनुज्ञा दी गई थी

2) शर्त 2 एवं 4 के अनुसारः पशुओं से हानि रोकने के लिए, पौधों को बागड़ से सुरक्षित किया जा सकेगा, किन्तु भूमि को बागड़ लगाकर, पशु आदि का अबाध प्रवेश नहीं रोका जाएगा ।

3) अनुज्ञा पत्र की अवधि सामान्यतः 2 वर्ष रहनी थी ।

3/ प्रकरण की विषयवस्तु के संबंध में एक शिकायत म0 प्र0 शासन के समक्ष दर्ज हुई । कार्यालय कलेक्टर, पन्ना द्वारा दिनांक 22–2–13 को यह शिकायत एसडीओ पन्ना को यह लिखकर जॉच के लिए दी गई की दोनों निगराकारों के परिवारों की म0 प्र0 अधिकतम कृषि जोत अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिशेष घोषित हुई भूमि को, उनके द्वारा निरन्तर परिवार के नाम कराकर धारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं । शिकायत की जॉच तहसीलदार पन्ना द्वारा करके उसका प्रतिवेदन 8–4–13 को एसडीओ को भेजा गया । इस प्रतिवेदन में यह तो लिखा है कि विषयांकित भूमि पर सागौन के पेड़ कटे हुए नहीं पाए गए एवं ईंट भट्टा नहीं पाया गया, किन्तु अनुज्ञा की शर्तों के पालन अथवा अन्यथा को लेकर कोई विवेचना अथवा अभियुक्ति नहीं है । हालांकि तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 8–4–13 में यह लिखा है कि "यह आराजी निगराकार कमांक 1 दिव्या रानी की कोठी के फार्म की चहर दीवरी के अन्दर स्थित है" । कार्यालय कलेक्टर के पत्र दिनांक 22–2–13 में यूकेलिप्टस के प्लाटेंशन का उल्लेख है । इसके विपरीत

तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 8–4–13 में विभिन्न प्रजातियों के बड़े छोटे वृक्ष 'जंगल नुमा भारी तादाद में' लगे होने के कारण पटवारी अभिलेख में वृक्षों का कोई विवरण दर्ज नहीं होना, उल्लिखित किया है ।

4/ एसडीओ पन्ना के तहसीलदार को प्रेषित पत्र दिनांक 26–2–13 में यह भी लिखा है कि विषयांकित भूमि नगरीय क्षेत्र की है, जहॉ भूमि विक्रय में होने से, इस भूमि का मूल्य क़रोड़ों में होता है । तहसीलदार का प्रतिवेदन दिनांक 8–4–13 इस बिन्दु पर मौन है ।

5/ गैर निगराकार म0 प्र0 शासन की ओर से प्रकरण में कोई प्रत्युत्तर या तर्क इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । निगराकारों के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए ।

6/ मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत तर्कों पर भी गंभीरता से विचार किया गया । इनके गहन अध्ययन एवं विचार के उपरान्त मेरे समक्ष प्रकरण में निम्न तथ्य प्रकट हुए है :

1) निगराकारों की अनुज्ञा का दिनांक 7–4–94 के उपरान्त कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ, जबकि अनुज्ञा पत्र में यह लिखा है कि इस अनुज्ञा की अवधि सामान्यतः दो वर्ष रहेगी । अब इस अनुज्ञा को 21 वर्ष 5 माह से अधिक व्यतीत हो चुके हैं ।

2) तहसील के प्रतिवेदन दिनांक 8–4–13 के अनुसार निगराकार क्रमांक 1 दिव्या रानी की कोठी की चाहर दिवारी के अन्दर विषयांकित भूमि स्थित है, जो कि अनुज्ञा पत्र दिनांक 7–4–94 की शर्त क्रमांक (4) का स्पष्ट उल्लंघन है ।

3) निगराकारों द्वारा विषयांकित भूमियों पर अनुज्ञा पत्र दिनांक 7–4–94 की शर्त क्रमांक 1 में उल्लिखित 4 प्रजातियों के वृक्ष यथा आम, इमली,

जामुन तथा महुआ का इसी अनुज्ञा पत्र की शर्त कमांक 3 के अनुसार रोपण कर के उन वृक्षों का पालन पोषण किया हो, यह भी तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 8–4–13 से स्पष्ट नहीं होता । इसके विपरीत तहसीलदार के प्रतिवेदन में विषयांकित भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की उपस्थिति की वजह से जंगल नुमा स्थिति होने का उल्लेख है। इससे यह निष्कर्ष प्रथमदृष्ट्या निकलता है कि निगराकारों द्वारा विषयांकित भूमियों का उपयोग अनुज्ञा पत्र दिनांक 7–4–94 की शर्तों के अनुसार फलदार वृक्ष लगाकर उनके भोगाधिकारों हेतु नहीं किया गया । इसके विपरीत, यह प्रतीत होता है कि निगराकारों ने भूमि पर जैसे तैसे भी वृक्ष उगने दिए । इस प्रकाश में इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि निगराकारों द्वारा विषयांकित भूमियों पर उन भोगाधिकारों का विधिवत् एवं सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, जिनके लिये उन्हें इन भूमियों के पट्टे मिले थे, उन्होनें पट्टे पर प्राप्त अतिशेष घोषित इन शासकीय भूमियों का अपेक्षानुसार समुचित रखरखाव भी नहीं किया, एवं उनके द्वारा येनकेन प्रकारेण विषयांकित भूमियों का कब्जा बनाए रखने का प्रयास किया जाना परिलक्षित हो रहा है ।

4) तहसील के प्रकरण कमांक 4/अ–61/93–94 में संलग्न फार्म पी–2 खसरा पांचशाला वर्ष 1993–94 में तीनों विषयांकित आराजी "म0प्र0 सरकार–नजूल" की होना लिखा है, एवं इन पर कल्याणी (निगराकार कमांक 2) एवं दिव्या (निगराकार कमांक 1) का अनाधिकृत कब्जा होना स्पष्टतः लिखा है । इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चूँकि यह भूमि शहरी क्षेत्र 'नजूल' की है, अतः इसकी कीमत काफी होगी, जिस कारणवश यह संभव है कि निगराकार विषयांकित भूमियों का कब्जा बनाए रखना चाहते हों । इस बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा उनके प्रतिवेदन दिनांक 8–4–13 में कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

8/ उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर मेरे द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाते है कि निगराकारों द्वारा अनुज्ञापत्रों की शर्तों का ऊपर बताए अनुसार समुचित पालन नहीं किया गया । ना ही शासकीय राजस्व अधिकारियों द्वारा गत 21 वर्षों की लम्बी कालावधि में इन शर्तों का पालन नहीं किये जाने के बिन्दु पर समुचित ध्यान देकर सरकारी भूमि शासन के हित में सुरक्षित की गई । जबकि अनुज्ञा पत्र दिनांक 7–4–94 से जारी अनुज्ञा की अवधि सामान्यतः 2 वर्ष ही रहनी थी ।

9/ उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर मेरे द्वारा यह निर्णय पारित किया जाता है कि मौजा पन्ना स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 387, 388, 389 की भूमियां म0 प्र0 शासन के हित में वेष्ठित करने की जो कार्यवाही की जा रही है वह उचित है । उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । यह निगरानी निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जावे । प्रकरण दा0 रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर